10.4.19 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के अंकित तथ्य, बेसिस ऑफ सूट, वादी द्वारा इस न्यायालय से चाहा गया अनुतोष, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 C.P.C., प्रार्थना पत्र के तथ्य, जवाब प्रार्थना पत्र आदि पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष पर विचार किया एवं विद्वान अधि० उभय पक्ष द्वारा अपने-अपने अनुतोष के संबंध में प्रस्तुत तर्कों पर भी सम्यक चिंतन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण द्वारा माननीय न्यायालयों के निर्णयों के दृष्टान्त पेश किये। हमने माननीय न्यायालयों के दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उनका प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पानगी

1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाबत विचार किया।	

वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर इस न्यायालय से अनुतोष चाहा गया कि "बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण 1 व 2 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे, कि प्रतिवादीगण मुताबिक इकरारनामा दि० 15.6.17 वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री शेष रकम प्राप्त करते हुये वादी के पक्ष में आलेखित करायें"

"प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान दीगर व्यक्तियों को करने की स्थिति में वादी द्वारा दी गई राशि मय ब्याज अदा करें"

वादी द्वारा अपने वादपत्र के आलंबन के रूप में अनरजिस्टर्ड इकरारनामा बेचान दिनांक 15.6.2017 प्रस्तुत किया है। उक्त इकरारनामें में कुल 1.14 हे० भूमि का 5.50 लाख रुपये प्रति बीघा के अनुसार बेचान का इकरार अंकित है, तथा 5 लाख रुपये प्राप्त करना उक्त इकरारनामें में अंकित है।

इस प्रकार वाद का जो आधार है, वह 100/- एक सौ रुपये से ज्यादा कीमत का होने से रजि० एक्ट अनु-

10/1/14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सार उसका पंजीबद्ध होना आवश्यक है। चूंकि विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत या धारा 63 R.T. Act 1955 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार उक्त इकरारनामें के परिणामस्वरूप वादग्रस्त भूमि पर से न तो इकरारकर्ता के खातेदारी हकों का अवसान होता है, और न ही इकरार ग्रहीता को खातेदारी स्वत्व प्रोद्भूत होते है।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज० अजमेर ने R.B.J. (14) 2007 निर्णय दिनांक 21.7.06 में अभिनिर्धारित किया है, कि "No Rights Accrues on the Land to Any Person on the basis of un-registered document" "In this case rights on the land were claimed by the respondents on the basis of unregistered Agreement. whereas no Right Accrues on the land on the basis of unregistered document"

R.R.T. 2003 (1) पेज 24 रामू बनाम चन्ना में अभिनिर्धारित किया गया है, कि "on the basis of Ikrarnama no right could accure to a person in a matter under the act. for such matters the aggrieved persons have to move to the civil court for specific performance of the Ikrarnama."

[signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी द्वारा अन रजिस्टर्ड इकरारनामे की बकाया रकम वादी से प्रति० 1व 2 को दिलवा कर रजिस्ट्री कराने का आदेश देने का निवेदन किया है, चूंकि माननीय न्यायालयों के निर्णयों की रोशनी में यह स्पष्ट हो चुका है, कि अन-रजि० इकरारनामे के द्वारा खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती साथ ही R.T.Act तृतीय परिशिष्ट में भी इस प्रकार के दावों के सुनवाई के प्रावधान नहीं है। अन रजिस्टर्ड इकरार नामों के क्रम में सुनवाई का स्वत्व सक्षम सिविल न्यायालयों को प्राप्त है। राजस्व न्याया-लय इस प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। साथ ही साथ वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष भी चाहा गया है। उक्त अनुतोष हेतु एक आसामी ही वाद लाने हेतु अधिकृत है। धारा 5(43) में यथा-परिभाषित तथा धारा 14 में वर्णित किसी भी श्रेणी की हैसियत वादग्रस्त भूमि के परिप्रेक्ष्य में वादी की नहीं है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी आसामी नहीं है। अतः वादी को प्रति० के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना	

बीएचएल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भी उचित नहीं पाया जाता है। अनरजिस्टर्ड इकरारनामें के आधार पर वादी को इकरारनामा के विनिर्दिष्ट पालन के लिये सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। प्रार्थना पत्र O.7.R.11.C.P.C एवं धारा-151 C.P.C. के गुणावगुण पर सम्यक मननोपरान्त हम पाते हैं कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र O.7.R.11.C.P.C. एवं धारा 151 C.P.C. स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील व तरतीब दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10-04-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया। 10/04/19 (चिमनलाल मीणा) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

डिकरी बमुकद्दमे ~~इब्तदाई~~

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी
ब इजलास चिमनलाल मीणा (R.A.S.)
बालचंद बनाम मानकंवर
दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक घोषणा

मुकद्दमा नं. 15 सन् 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ चिमनलाल मीणा (R.A.S.)
ब हाजरी श्री चंदन गुप्ता एडवो. मिनजानिब मुद्दई व श्री जितेन्द्र मालवी एडवो.
मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

प्रार्थना पत्र O-7. R.11. C.P.C एवं धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाता है।

नीज ✗ मुबलिग ✗ बाबत ✗
खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद व शरह ✗ फीसदी सालाना आज की तारीख
में तारीख वसूलयाबी तक ✗ को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 04 2019
को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दायलाह		रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा	" "			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	" "			स्टाम्प अर्जो		
स्टाम्प वजह सबूत	" "			महनताना वकील		
महनताना वकील	" "			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	" "			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	" "			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा	" "			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	" "					
मीजान	" "	—	—	मीजान		— —

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया है या नहीं, दर्ज करना चाहिये। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner